भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1916**
30 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

# समुद्री ओडीओपी उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन

1916**. कैप्टन बृजेश चौटा:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दक्षिण कन्नड़ जिले में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के तहत पहचाने गए समुद्री उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन की समीक्षा की है तथा यदि हां, तो योजनाओं और परियोजनाओं के कवरेज का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी परियोजनाओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत परियोजनाओं, संवितरित राजसहायता, जुटाए गए निवेश, सृजित प्रसंस्करण क्षमता, सृजित रोजगार और परिचालन की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऋण उपलब्धता, गुणवत्ता मानकों, परीक्षण सुविधाओं, सामान्य बुनियादी ढांचे, ब्रांडिंग और बाजार तक पहुंच से संबंधित बाधाएं क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार ने दक्षिण कन्नड़ में परियोजना रूपांतरण और व्यावसायिक परिणामों में सुधार करने के लिए कोई जिला कार्य योजना तैयार की है और यदि हाँ, तो कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

## उत्तर

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री**
**(श्री चिराग पासवान)**

(क). प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) दृष्टिकोण के अंतर्गत , कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले सहित देश भर के 29 जिलों में मछली और समुद्री उत्पादों को ओडीओपी के रूप में पहचाना गया है। योजना के ब्रांडिंग और विपणन घटक के अंतर्गत , एफपीओ, सहकारी समितियों, एसएचजी के समूहों और राज्य या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के क्षेत्रीय एसपीवी को राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर एक सामान्य अंब्रेला ब्रांड विकसित करने के लिए पात्र परियोजना लागत का 50% तक अनुदान प्रदान किया जाता है। हालाँकि, दक्षिण कन्नड़ जिले के लिए ब्रांडिंग और विपणन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख). दक्षिण कन्नड़ जिले में 529 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए आवेदन जमा किए गए हैं और 393 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी परियोजना लागत 69.78 करोड़ रुपये और स्वीकृत सब्सिडी 21.54 करोड़ रुपये है। इसमें से, समुद्री उत्पाद क्षेत्र में 13 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए 1.42 करोड़ रुपये की परियोजना लागत और 0.28 करोड़ रुपये की स्वीकृत सब्सिडी के साथ ऋण स्वीकृत किए गए हैं। जिले में 1179 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न हुए हैं और 100 उद्यमों का औपचारिकीकरण किया गया है। हालांकि, मंत्रालय में परिचालन इकाइयों के लिए अलग डेटा नहीं रखा जाता है।

(ग) पीएमएफएमई योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान पहल के अंतर्गत एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे सूक्ष्म उद्यमों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और ऋण और साझा अवसंरचना , एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन संबंधों और क्षमता निर्माण तक पहुंच बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह योजना नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना या मौजूदा उद्यमों के उन्नयन के लिए पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए साझा प्रसंस्करण, गुणवत्ता परीक्षण, भंडारण, पैकेजिंग और प्रशिक्षण सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सामान्य अवसंरचना और इनक्यूबेशन केंद्रों के लिए सहायता का प्रावधान किया गया है।

यह योजना सामान्य ब्रांडों के विकास, बेहतर पैकेजिंग, गुणवत्ता मानकीकरण और उत्पादों के व्यापक प्रचार को सुविधाजनक बनाने के लिए ब्रांडिंग और विपणन सहायता भी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, यह योजना खरीदार-विक्रेता बैठकों, मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, और संगठित खुदरा और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण के माध्यम से एंड-टू-एंड बाजार संबंधों को बढ़ावा देती है। सहायता प्राप्त सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को जिला संसाधन व्यक्तियों (डीआरपी) के माध्यम से उद्यम, एफएसएसएई और जीएसटी जैसे पंजीकरणों के लिए हैंडहोल्ड सहायता प्रदान की जाती है, ताकि उद्यम नियामक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और औपचारिक ऋण और संगठित बाजारों तक पहुंच सकें।

(घ). पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश राज्य स्तरीय उन्नयन योजनाएं (एसएलयूपी) तैयार करते हैं, जो जिला-विशिष्ट रणनीतियां प्रदान करती हैं। जिसमें एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) की पहचान, कृषि उत्पादन का आकलन, प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र, उत्पाद क्लस्टर, मूल्य श्रृंखला, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी की कमी, प्रसंस्करण क्षमता, भंडारण, परीक्षण सुविधाएं, बाजार संपर्क, ब्रांडिंग के अवसर, निर्यात क्षमता और अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण शामिल हैं। इन अंतःक्षेपों का कार्यान्वयन योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार दक्षिण कन्नड़ जिले सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है।